[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 39/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 मई, 2020

सा.का. नि. ....(अ) – सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में, अधिसूचना सं.11/2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 194(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में-

(i) प्रथम पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु व्यक्तियों के ऐसे वर्ग में वे निगमित ऋणी नहीं आयेंगे जिन्होंने आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के पहले तक की सभी कर अवधियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 37 के अधीन विवरण और धारा 39 के अधीन विवरणी भर दिया है ।";

(ii) पैरा 2 के स्थान पर, तारीख 21 मार्च, 2020 से प्रभावी अवधियों के लिए, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-

"**2. रजिस्ट्रीकरण** – ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी तारीख की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी पूर्व में रजिस्टर्ड था, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर या 30 जून, 2020 तक, जो भी पश्चात का हो, नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।"।

(फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020–जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण – मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 11/2020–केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 संख्यांक सा.का.नि. 194(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।